

फर्द अहकाम
(नियम 15)

निर्णय
23-08-2024

आलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
निराणाराम बनाम रामकुमार आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 20 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
08.08.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 14.08.2024 को पेश हो। om 1	
12.08.2024	वकील वादी ने शान्तिना - पत्र मित्राल पेक्षी पेश करे पर पत्रावली के पेक्षी में लिखा गया व कुलार फरिडुन उपखण्ड की वकील वकील सवाल उने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे काउ तलब डालिल फरिल किया गया। पत्रावली कास्टे स्टेट जजक डालिका रिजल्ट 14.08.2024 को पेश हो।	निराणाराम रामकुमार पवन कुमार सितोन्ना र. सती 167 जजक Kumar
14.08.2024	व कुलार फरिडुन उपखण्ड/PU भांडा अचर्य पेश करे पर पत्रावली डालिका कास्टे स्टेट जजक 23-8-2024 को पेश हो	
23.08.2024	व कुलार फरिडुन उपखण्ड कास्टे जजक प्राप्त डालिका वहा सुमी गनी पत्रावली का अचर्य कर डालिका पत्रावली पर उपलब्ध रिजल्ट का डालिका पत्रावली के डालिका पर वाद वकील डालिका किया जाता है। डालिका सहित निर्णय अचर्य से लिखाया जाकर डालिका फरिल किया जाये। पत्रावली मखर के कर की जाके काउ तलब तलब डालिका डालिका डालिका हो। om 1	साहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर



डिक्री बमुकदमें ईब्दाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 384/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

निराणाराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
-वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र भादर राम जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. पवन कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. सिलोचना पुत्री रामकुमार पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी 23 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री कृष्णकुमार वकील-वादी
श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक:-23.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 8 बी.पी. एम. के प0न0 198/403 के किला नम्बर 18 की 0.253 है0, 19 की 0.253 है0, 20/2 की 0.018 है0, 21 ता 23 की 0.759 है0 कुल तादादी 1.283 है. भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.08.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर